

पत्र संख्या : ७ब/४७०२ यो०ज०सं०— १६/१८ १५५

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ०१/०३/१९

विषय :-

मॉग संख्या-५०— जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२— लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-१०१—सतही जल, उप शीर्ष-३७—रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक, विस्तृत शीर्ष-०७—अन्य व्यय, ५९ अन्य व्यय विपत्र कोड ५०C470200101370759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक र्वीकृत्यादेश संख्या-४२/१८-१९, दिनांक 24.12.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
१	२	३	४	५
१.	५०— जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / ४७०२— लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	१०१—सतही जल/ ३७—रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक	०७—अन्य व्यय, ५९ अन्य व्यय विपत्र कोड ५०C470200101370759	63.45

आवंटित राशि —₹ तिरसठ लाख पैतालीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त संशोधित बजट उपबंध ३००.०० लाख (तीन करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १३६३(वि.) दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक र्वीकृति एवं तकनीकी र्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट १ में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा। यह आवंटन शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

→ २०१९

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

२०१९

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-२

✓

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrendr No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 195

रॉची, दिनांक :— 01/03/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/हजारीबाग/चतरा/मेदिनीनगर/गढ़वा/रामगढ़/धनबाद/बाकारो/कोडरमा/गोखड़ा/गिरिडीह/दुमका /देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 195

रॉची, दिनांक :— 01/03/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार दूबे)
 विशेष सचिव


 (आर.एस. तिवारी)
 अभियंता प्रमुख-2


 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
 अपर मुख्य सचिव

पत्रांक – 195
/रोची, दिनांक – ०१/०३/१९

परिशिष्ट – 1

माँग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष – 101–सतही जल,

उपशीर्ष – 37–रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200101370759

संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2018–19) रु. 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र०.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्रीय	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का			मार्च 2018	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	अस्तुकित
				प्रसंग	राशि	तक व्यय						
1	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, हजारीबाग (HZBMMR001)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, चतरा (CTRMMR001)						0.00000	0.00	7.05	7.05	97392	
2	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, मेदिनीनगर (PLMMMR041)	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गढ़वा (GRHMIR001)	राँची / दुमका	सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	षष्ठम् लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	42/18–19 प्र.स्थी. दिनांक–24.12.18 1735/31.12.18 Online AA- 981.4030	0.00000	0.00	8.55	8.55	97399	
4	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, रामगढ़ (RGHMIR012)						0.00000	0.00	7.95	7.95	97407	
5							0.00000	0.00	4.05	4.05	97414	

2018-03-01
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमित)

2018-03-01
(रमेश कुमार द्वेरा)
विशेष सचिव

(आरएस० तिगा)
अभियंता प्रमुख-2

अरुण कुमार सिंह) 22-2-2017
अपर मुख्य सचिव

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200101370759 संशोधित बजट उपलब्ध (वर्ष 2018-19) रु. 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र।

क्र. नं.	कार्यालय का नाम	प्रशासनिक स्थीरता का		वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन				On-line Allotment Access No.	अस्युक्ति		
		मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रसंग	राशि	मार्च 2018 तक व्यय	फूर्दे का आवंटन	वर्तमान आवंटन	फुल आवंटित जाजि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, धनबाद (DHNMIR001)					0.37050	0.00	4.65	4.65	97422	
7	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, बोकारो (BKRMIR001)					2.83690	0.00	4.95	4.95	97429	
8	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, कोडरमा (KDMMIRA01)					1.13030	0.00	4.05	4.05	97434	
9	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गोड्डा (GDDMMIR014)	राँची / दुमका ल.सि.	सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	षट्टम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	42 / 18-19 प्रसी. दिनांक-24.12.18 Online AA- 1735/31.12.18	343.7426	14.29200	0.00	4.95	4.95	97439
10	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गोड्डा (GRDMIR001)					0.43069	0.00	6.15	6.15	97443	
11	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमङ्गल, दुमका शिविर देवधर (DGRMIR001)					0.57512	0.00	5.25	5.25	97459	
						योग	19.63551	0.00	63.45	63.45	

(राणी लाला)

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आमि.)

(रमेश कुमार द्वारा
विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)
अभियंता प्रमुख—२

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव